

खण्ड-7, अंक-1

शुक्रवार, 22 अग्रहायण, शक संवत् 1924

(13 दिसम्बर, 2002 ई०)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

— 0 —

(अधिकृत विवरण)
(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2002)



(खण्ड 7 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :

उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)

2003

मूल्य :

वार्षिक चन्दा :

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
राष्ट्रीय गीत	1
नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास	1-2
प्रश्नोत्तर	3-53
वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतिकरण (प्रस्तुत)	53
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 2000-2001 उत्तर प्रदेश सरकार का वाणिज्यिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	53
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	54
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (सदन के पटल पर रखा गया)	55
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	55
देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	55
उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	55

विषय

पृष्ठ संख्या

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतराज संशोधन विधेयक, 2002 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	...	55-56
उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग, विधेयक, 2002(राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	...	56
भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	...	56
जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विमाण्डेश्वर ईडा मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में याचिका (प्रस्तुत नहीं हुई)	...	56
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रमों के निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	56-57
विधान सभा की सर्वदलीय जाँच समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने की घोषणा	...	57
नियम 301, 300 एवं 56 के अन्तर्गत सूचनाएं (अस्वीकृत)	...	57
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) संशोधन विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	...	57-58
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	...	58
भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	...	58
उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	...	59
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	...	59
उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	...	59-60
उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 (पुरःस्थापित)	...	60
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं (अस्वीकृत)	...	60

उपस्थिति

- 1-श्री अजय भट्ट
- 2-श्री अनिल नौटियाल
- 3-डॉ० अनुसूया प्रसाद मैखुरी
- 4-श्रीमती अमृता रावत
- 5-श्रीमती आशा देवी
- 6-(डॉ०) श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
- 7-श्री उम्मेद सिंह मांजिला
- 8-श्री काशी सिंह ऐरी
- 9-श्री किशोर उपाध्याय
- 10-श्री कैलाश शर्मा
- 11-श्री कौल दास
- 12-श्री गगन सिंह
- 13-श्री गणेश प्रसाद गोदियाल
- 14-श्री गोपाल सिंह
- 15-श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
- 16-श्री चन्द्रशेखर
- 17-श्री जोत सिंह गुनसोला
- 18-श्री तसलीम अहमद
- 19-श्री तिलक राज बेहड़
- 20-श्री तेजपाल सिंह रावत
- 21-श्री दिनेश अग्रवाल
- 22-श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी
- 23-श्री नव प्रभात
- 24-श्री नारायण पाल
- 25-श्री नारायण राम आर्य
- 26-श्री नारायण सिंह जंतवाल
- 27-श्री काजी निजामुद्दीन
- 28-श्री प्रकाश पंत
- 29-कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
- 30-डॉ० प्रताप बिष्ट
- 31-श्री प्रदीप टम्टा
- 32-श्री प्रीतम सिंह
- 33-श्री प्रीतम सिंह पंवार

- 34-श्री प्रेमानन्द महाजन
- 35-श्री फूल सिंह बिष्ट
- 36-श्री बलबीर सिंह नेगी
- 37-श्री विजय पाल सिंह सजवाण
- 38-श्री बिशन सिंह चुफाल
- 39-श्री भगत सिंह कोश्यारी
- 40-श्री मदन कौशिक
- 41-श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट
- 42-श्री महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
- 43-श्री मातबर सिंह कण्डारी
- 44-श्री माल चन्द
- 45-चौधरी यशवीर सिंह
- 46-श्री रणजीत सिंह
- 47-श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
- 48-श्री राम प्रसाद टम्टा
- 49-श्रीमती विजय बड़थवाल
- 50-श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
- 51-श्री शूरवीर सिंह सजवाण
- 52-श्री शहजाद
- 53-श्री साधू राम
- 54-श्री सुबोध उनियाल
- 55-श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
- 56-श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
- 57-श्री सुरेश चन्द जैन
- 58-डॉ० हरक सिंह रावत
- 59-श्री हरबंस कपूर
- 60-श्री हरभजन सिंह चीमा
- 61-श्री हरिदास
- 62-श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
- 63-श्री हीरा सिंह बिष्ट
- 64-श्री हेमेश खर्कवाल
- 65-श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

शुक्रवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11.00 बजे
अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्॥

सुजलाम्।

सुफलाम्।

मलयज शीतलाम्।

शस्य श्यामलाम्।

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-दुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम्। वन्दे मातरम्॥

नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को उठाने का प्रयास
श्री मातबर सिंह कण्डारी—

मान्यवर, हमारा अनुरोध है कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए नियम 311
पर हमारी सूचना सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग प्रश्नकाल की उपयोगिता को समझिए। प्रश्नकाल विपक्ष का होता है,
इसलिए प्रश्नकाल हो जाने दीजिए।

(विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड क्रान्ति दल और
राष्ट्रवादी कांग्रेस के बहुत से माननीय सदस्य "वैल" में आ गए।)

श्री अध्यक्ष—

मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग आसन ग्रहण करें।

("वैल" में उपस्थित माननीय सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए)

"लूली-लंगड़ी ये सरकार नहीं चलेगी।"

"भ्रष्टाचारियों की ये सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी।"

(व्यवधान)

*श्री मदन कौशिक—

मान्यवर, मंत्री को बर्खास्त करने के बाद ही कार्यवाही सुनी जायेगी। (व्यवधान के मध्य)

(श्री महेन्द्र भट्ट द्वारा पीठ को कागज दिखाया गया)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (डा० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, नियमों के अनुसार ही किसी भी माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। ("वेल" में उपस्थित माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

"भ्रष्टाचारियों की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।"

"लूली-लंगड़ी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।"

"किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।"

"भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करो-बर्खास्त करो आदि।"

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, वह 311 की परिधि में नहीं आती हैं, इसलिए मैं इन सभी सूचनाओं को निरस्त करता हूँ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही 12 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

("वेल" में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

"भ्रष्टाचारी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करो, लूली-लंगड़ी यह सरकार नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी तथा राज्य आंदोलनकारियों के मुकदमें वापस लो आदि।"

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण कृपया आसन ग्रहण करें (व्यवधान) माननीय कोश्यारी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने में मदद करें, माननीय सदस्यों को बैठने के लिए कहें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही 1.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

उत्तरांचल में डाक्टरों के कुल रिक्त पद एवं उन पर नियुक्तियाँ

*1—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट,

2—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने डाक्टरों के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार इन पदों को भरने के लिये नई नियुक्तियाँ करने पर विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)—

उत्तरांचल में 577 साधारण ग्रेड एलोपैथिक (पुरुष) चिकित्सक, 42 साधारण ग्रेड एलोपैथिक (महिला) चिकित्सक तथा 31 दन्त चिकित्सक कुल 650 पद रिक्त हैं।

जी हां।

उक्त रिक्त पदों में से 400 पद साधारण ग्रेड एलोपैथिक (पुरुष) चिकित्सक, 30 पद साधारण ग्रेड एलोपैथिक (महिला) चिकित्सक एवं 28 पद दन्त शल्यकों के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने हेतु अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा पदों को भरने के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर चयन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है। आयोग द्वारा 26 साधारण ग्रेड एलोपैथिक (महिला) चिकित्सकों की चयनोपरान्त संस्तुति शासन को भेजी गयी है तथा इनकी तैनाती शीघ्रातिशीघ्र कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

*2—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

प्रथम बुधवार के तारांकित 11 में स्थानान्तरित

देहरादून में गत वर्ष बालक-बालिकाओं के जन्म दर का अनुपात एवं
भ्रूण हत्या कानून को प्रभावी बनाना

*3—श्री हरबंस कपूर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून में गत वर्ष बालक-बालिकाओं का जन्म दर का अनुपात क्या था?

क्या सरकार प्रदेश भर में भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिये कानून को प्रभावी ढंग से लागू करवायेगी?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद देहरादून में गत वर्ष बालक-बालिकाओं के जन्म दर का कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है।

जी हां। प्रदेश भर में भ्रूण हत्याओं को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

प्रदेश में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजनाएं

*4—श्री मदन कौशिक—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के पर्यटन के विकास की कोई कार्ययोजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

पर्यटन एवं आबकारी मंत्री [ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत]—

जी हां।

उत्तरांचल में घरेलू पर्यटकों के अतिरिक्त विदेशी पर्यटकों को भी अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु पर्यटन से संबंधित महत्वाकांक्षी योजनाएं विशेषज्ञ परामर्शी संस्थाओं से तैयार कराए जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक परियोजनाएं तैयार की जा सकें। इस क्रम में औली का स्की रिसोर्ट के रूप में विकास, चारधाम के लिए विस्तृत कार्ययोजना, निर्माणाधीन टिहरी बांध क्षेत्र के लिए पर्यटन की दृष्टि से कार्ययोजना, ट्रैकिंग मार्गों के लिए कार्ययोजना तथा साघना केन्द्रों की स्थापना, रीवर राफ्टिंग एवं ऐरो स्पोर्ट्स जैसे साहसिक खेलों का विकास तथा उत्तरांचल को एक इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने की योजनाएं प्रमुख हैं। वर्तमान में यह सभी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इन योजनाओं में प्रभावी पूंजी निवेश भी हो सके, इसके लिए विदेशी व घरेलू निवेशकों को आमंत्रित किए जाने के लिए यथाशीघ्र एक निवेशक कॉन्वलेव भी आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमनोत्री धामों के मुख्य सड़क मार्गों से शराब की दुकानों को अन्यत्र हटाया जाना

*5—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या आबकारी मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विदेशी शराब की कुल कितनी दुकानें आवंटित हैं?

क्या सरकार गंगोत्री, यमनोत्री धामों के मुख्य सड़क मार्गों के शराब की दुकानों को अन्यत्र हटाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (से०नि०) तेजपाल सिंह रावत—

जनपद उत्तरकाशी में विदेशी मदिरा की कुल 07 (सात) दुकानें आवंटित हैं।

जनपद उत्तरकाशी की विदेशी शराब की सभी दुकानें पूर्व से ही व्यवस्थापित हैं तथा इन सभी दुकानों का व्यवस्थापन आबकारी मैनुअल खण्ड-एक के नियम-328 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया गया है। अतः इन्हें अन्यत्र हटाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

व्यवस्थापित मदिरा की दुकानें विगत कई वर्षों से संचालित है अतः इन्हें हटाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

*6—श्री माल चन्द—

द्वितीय बुधवार के तारांकित 7 में स्थानान्तरित

उत्तरांचल के मैदानी क्षेत्रों में हरित क्रान्ति से पैदावार बढ़ाने से खेतों में उपजाऊ पदार्थों में आई कमी को दूर करने की योजना

*7—डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि हरित क्रान्ति से उत्तरांचल के मैदानी क्षेत्रों में पैदावार बढ़ने के साथ-साथ खेतों में उपजाऊ पदार्थों में कमी आयी है?

यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से खनिज पदार्थ हैं, जिनकी भूमि में कमी पाई जा रही है?

क्या सरकार इस कमी को दूर करने के लिए कोई योजना बना रही है?

कृषि एवं जलागम मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)—

जी हां।

मृदा परीक्षण के आधार पर वर्तमान में भूमि में नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश एवं खनिज तत्व के रूप में सल्फर, जस्ता, तांबा, लोहा तथा बोरोन की कमी पाई गयी है।

भूमि में खनिज तत्वों की कमी को दूर करने के लिए मृदा परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराकर मृदा परीक्षण संस्तुतियों के अनुरूप कृषकों को संतुलित उर्वरकों व जैविक खादों के अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

कृषि विभाग द्वारा मैक्रोमैनेजमेन्ट योजना, एकीकृत राष्ट्रीय दलहन एवं तिलहन विकास योजनाओं तथा कृषि विविधीकरण परियोजना के माध्यम से भूमि में खनिज तत्वों की कमी को दूर करने के उपायों के बारे में कृषकों को वांछित सूचनायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

प्रदेश की परिवहन निगम की बसों में स्टाफ के नाम पर बिना टिकट यात्रा से हो रही धन हानि को रोकने विषयक

*8—मौ० शहजाद—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की परिवहन निगम की बसों में कुल कितने व्यक्ति प्रतिदिन यात्रा करते हैं?

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि स्टाफ के नाम पर बिना टिकट यात्रा कराकर सार्वजनिक धन को हानि पहुँचाई जा रही है?

यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए सरकार कोई प्रभावी कदम उठा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)—

माह अप्रैल, 2002 से अगस्त, 2002 तक उत्तरांचल जोन में निगम की बसों से प्रतिदिन औसतन 1.03 लाख यात्रियों ने यात्रा की है।

निगम के कर्मचारी/स्टाफ फैमिली पास एवं ड्यूटी पास लेकर ही निगम की बसों में यात्रा करते हैं, स्टाफ द्वारा बिना टिकट यात्रा किए जाने का निगम की बसों में कोई प्राविधान नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में वर्तमान सुविधाओं को बढ़ाया जाना

*9—श्री प्रकाश पन्त—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में वर्तमान सुविधाओं को और अधिक बढ़ाए जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) तेजपाल सिंह रावत—

जी हाँ, कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुगम बनाने हेतु कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के माध्यम से वर्ष 1981 से यात्रियों को आवासीय सुविधा, सुरक्षा, संचार, चिकित्सा, परिवहन तथा अन्य सुविधाएं दिये जाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। भविष्य में इस यात्रा को और अधिक सुगम बनाने एवं इस यात्रा में अधिक से अधिक यात्रियों/पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु आधुनिक सुरक्षा एवं रेस्क्यू उपकरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सौर लालटेनों की सुविधा एवं विभिन्न स्थलों पर जन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में पान, गुटका पर प्रतिबन्ध लगाना

*10—श्रीमती आशा नौटियाल, श्री मदन कौशिक एवं श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अन्य राज्यों की भांति उत्तरांचल में पान, गुटका पर प्रतिबन्ध लगाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

उत्तरांचल में पान मसाला एवं पान गुटखा पर प्रतिबन्ध लगाने के प्रकरण पर शासन द्वारा अध्ययन कराकर उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

यात्रा काल में तीर्थाटन/पर्यटन को बढ़ाने हेतु बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम को हवाई मार्ग से जोड़े जाने की योजना

*11—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तीर्थाटन/पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने हेतु यात्राकाल के दौरान बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम को हवाई मार्ग से जोड़े जाने हेतु शासन स्तर पर कोई प्राविधान किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ले० ज० (अ० प्रा०) टी० पी० एस० रावत—

जी हाँ।

श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ धाम में हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 05 सीटर चोपर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभिक परीक्षण किया गया है। इसके अनुरूप वर्तमान में प्रचलित दरों के अनुरूप इस यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति रुपये 25000 से 30000 तक यात्रा व्यय संभावित है। वर्तमान में इतनी दर पर यात्रा करने वाले पर्याप्त यात्रियों की उपलब्धता न होने के कारण इस सेवा को शुरू नहीं किया जा सका है। इसके लिए व्यापक प्रचार प्रसार की आवश्यकता होगी, जिससे भविष्य में पर्याप्त संख्या में पर्यटक/यात्री उपलब्ध हो सकें।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल पर्यटन परिषद् के गठन की जानकारी/परिषद् में अनुभवी व्यक्तियों को नामित करने विषयक

*12—श्री नारायण सिंह जंतवाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल पर्यटन परिषद् का गठन कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो कब और इसमें कितने सदस्य एक्सपर्ट होने के आधार पर सदस्य/निदेशक के रूप में रखे गये हैं और इनके नाम क्या हैं?

क्या शासन उत्तरांचल में पर्यटन क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति/व्यक्तियों को भी परिषद् में नामित करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

ले० ज० (अ० प्रा०) टी० पी० एस० रावत—

जी हां, उत्तरांचल पर्यटन परिषद् का गठन कर दिया गया है।

परिषद् का गठन दिनांक 7 जनवरी, 2002 को अधिसूचना के माध्यम से कर दिया गया है। परिषद् में पर्यटन क्षेत्र के राष्ट्रीय स्तर के 05 विशेषज्ञों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

1—श्री एस० के० मिश्रा, उपाध्यक्ष, इन्टैक।

2—श्री एम० पी० बेजबुरुआ, निवर्तमान सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, पाटा।

3—श्री जहांगीर एन० कटगरा, अध्यक्ष, दि ट्रैवल ऐजेंट एसोसिएशन ऑफ इन्डिया।

4—महाराज आई० एस० वाही, अध्यक्ष, इन्डियन एसोसिएशन ऑफ टूरर आपरेटर्स।

5—श्री बी० के० गुप्ता, अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ होटल्स एण्ड रैस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इन्डिया।

जी हां, उत्तरांचल में पर्यटन व्यवसाय में सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन की विभिन्न विधाओं यथा—साहसिक पर्यटन, नैसर्गिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, इको—टूरिज्म आदि के लिये परिषद् के अधीन समितियां यथाशीघ्र गठित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे इन अलग—अलग समितियों में राज्य के विषय विशेषज्ञों को नामित कर उनके मार्ग—दर्शन से इन विषयों पर भविष्य के लिये नीति निर्धारण किया जा सके।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल विधान सभा भवन परिसर में डिस्पेन्सरी खोलने पर विचार

*13—श्री नारायण पाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल विधान सभा में अभी तक डिस्पेन्सरी न खोले जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार मंत्रियों/विधायकों/अधिकारियों तथा कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए अविलम्ब विधान सभा भवन परिसर में डिस्पेन्सरी खोले जाने पर विचार करेगी।

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

नवगठित राज्य तथा सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अब तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है किन्तु विधान सभा सत्रों के दौरान चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु चिकित्सकीय दल, औषधियां तथा एम्बुलेन्स सहित, तैनात किया जाता रहा है।

वित्तीय वर्ष 2003—2004 में नई मांग के माध्यम से प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद चमोली के गोपेश्वर स्थित राजकीय चिकित्सालय में डाक्टरों की उपस्थिति/उपलब्धता सुनिश्चित करना

1—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के गोपेश्वर स्थित राजकीय चिकित्सालय में कुल कितने चिकित्सक सर्जन वर्तमान में हैं तथा किन-किन विभागों में डाक्टरों का अभाव है?

क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में डाक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

गोपेश्वर स्थित चिकित्सालय में साधारण ग्रेड के 11 चिकित्सक कार्यरत हैं, जिनमें एक सर्जन, एक आर्थोपैडिक सर्जन, एक ई0एन0टी0 सर्जन, एक डेन्टल सर्जन व एक नेत्र सर्जन कार्यरत हैं। वर्तमान में इस चिकित्सालय में एक ई0एम0ओ0, एक कार्डियोलोजिस्ट एवं एक चर्मरोग विशेषज्ञ के पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरे जाने के लिये लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के अस्पतालों में अल्ट्रासाउन्ड एवं सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था की जानकारी

2—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के किन-किन अस्पतालों में अल्ट्रासाउन्ड एवं सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद चमोली के जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जोशीमठ में अल्ट्रासाउन्ड की व्यवस्था है। सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था उत्तरांचल के किसी भी चिकित्सालय में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या/डाक्टरों की नियुक्ति की मांग

3—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं?

क्या सभी आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में डाक्टर उपलब्ध है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार इन चिकित्सालयों में डाक्टर उपलब्ध कराये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद चमोली के विकासखण्ड पोखरी में पांच आयुर्वेदिक चिकित्सालय है।

जी हां। लेकिन राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय चांदनी चौक में तैनात चिकित्साधिकारी जनपद देहरादून के नवस्थापित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय भानियावाला में सम्बद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में वर्तमान में सृजित पद एवं कार्यरत चिकित्सकों की संख्या/शेष चिकित्सकों की तैनाती पर विचार

4—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के कुल कितने पद सृजित हैं एवं कितने चिकित्सक वर्तमान में कार्यरत हैं?

क्या सरकार जनहित में शेष चिकित्सकों की तैनाती किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद उत्तरकाशी के जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के कुल 21 पद सृजित हैं तथा इसके विरुद्ध वर्तमान में 12 चिकित्सक कार्यरत हैं।

जी हां।

चिकित्सकों की तैनाती हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है तथा आयोग द्वारा चयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। चयनोपरान्त चिकित्सकों की तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग के प्रसिद्ध दशमद्वार कालीमठ मन्दिर कण्डारा के सौन्दर्यीकरण की योजना

5—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के प्रसिद्ध दशमद्वार कालीमठ मन्दिर कण्डारा के सौन्दर्यीकरण के लिए सरकार के पास कोई कार्ययोजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले० ज० (अ० प्रा०) टी० पी० एस० रावत—

जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के प्रसिद्ध दशमद्वार कालीमठ मंदिर कण्डारा के सौन्दर्यीकरण हेतु एक योजना प्राप्त हुई है जिसमें मंदिर तक जाने हेतु पैदल मार्ग का सृद्धीकरण, सी० सी० कार्य एवं मंदिर की चार दीवारी, मंदिर के निकट गधेरे पर आर० सी० सी० पुलिया तथा दो कक्षाओं का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। योजना/आगणन का परीक्षण शासन स्तर पर किया जाना शेष है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित की योजना

6—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड, पोखरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित किये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो क्यों?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण कार्य जिला सेक्टर के अन्तर्गत है तथा जिला योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2002-03 में यह कार्य अनुमोदित नहीं है।

राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत/बिना पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की जानकारी

7—श्री मदन कौशिक—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में रोजगार कार्यालयों में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं?

वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अब तक कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया है?

क्या सरकार यह भी जानकारी देगी कि कितने लोगों को रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के बिना रोजगार दिया गया है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

उत्तरांचल में स्थित समस्त रोजगार कार्यालयों में कुल 3,48,075 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

वर्तमान सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अब तक 194 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लगभग 2865 बेरोजगारों को विभिन्न विभागों द्वारा सीधे नियुक्त किया गया।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के बिना रोजगार प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की सूचना उपलब्ध नहीं रहती है।

प्रदेश में मिनिस्ट्रीयल वर्ग का महानिदेशालय स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक एक संवर्ग बनाने विषयक

8—डा० नारायण सिंह जंतवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में मिनिस्ट्रीयल वर्ग का महानिदेशालय स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक एक संवर्ग (कैडर) बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

क्या इस संबंध में महानिदेशक स्वास्थ्य द्वारा दिनांक 30-06-2001 को सेवाओं के एकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है?

यदि हाँ, तो कब तक सरकार उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार एक संवर्ग बनाये जाने पर विचार करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

जी हाँ।

विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में स्टाफ नर्स एवं ए०एन०एम० के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ करने विषयक

9—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कुल कितने स्टाफ नर्स एवं ए०एन०एम० के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार इन रिक्त पदों पर नई नियुक्तियाँ करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद चमोली में वर्तमान समय में स्टाफ नर्स के 10 पद रिक्त हैं तथा ए०एन०एम० का कोई पद रिक्त नहीं है।

जी हाँ।

स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु नियमित चयन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के रूपकुण्ड स्थल के सौन्दर्यीकरण की योजना

10—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के रूपकुण्ड स्थल के सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले० ज० (अ० प्रा०) टी० पी० एस० रावत—

जनपद चमोली का रूपकुण्ड क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत है। अतः इस क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण हेतु जनपद स्तर के वन विभाग के अधिकारियों से योजना तैयार किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। योजना प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हो सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में 95 नव सृजित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों की नियुक्ति विषयक

11—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में 95 नवसृजित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं फार्मासिस्ट की नियुक्ति कर दी है?

यदि हाँ, तो कितने?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

95 नवसृजित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से केवल 80 चिकित्सालयों के नामों में ही स्वीकृति अभी तक हो पायी है। शेष 15 स्थानों के चयन हेतु कार्यवाही प्रचलन में है। इन 80 नवसृजित आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में अभी तक चिकित्सक व फार्मासिस्ट के पद सृजित नहीं हुए हैं, अतः नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है। लेकिन उक्त चिकित्सालयों के संचालन हेतु रिडिप्लायमेन्ट के आधार पर व्यवस्था की गयी है। इन चिकित्सालयों में इस वित्तीय वर्ष में पद सृजन प्रस्तावित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पदों के सृजन न होने के कारण।

प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने विषयक

12—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री तिलक राह बेहड़—

उत्तरांचल में 10वीं पंचवर्षीय योजना में 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने का लक्ष्य है। वर्ष 2002-2003 में 05 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्तरोन्नत करने का लक्ष्य है।

जनपद चमोली में किराये के मकानों में चल रहे स्वास्थ्य केन्द्रों को रख-रखाव हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने विषयक

13—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कितने स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों पर चल रहे हैं?

क्या इनके रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है?

यदि हां, तो कितनी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद चमोली में 71 उपकेन्द्र, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व दो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

किराये के भवनों के रख-रखाव के लिए सरकार द्वारा कोई वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है। इनका रख-रखाव भवन स्वामियों द्वारा किया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलवाड़ जनपद रुद्रप्रयाग के भवन निर्माण पूर्ण कराने की मांग

14—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तिलवाड़ा, जनपद रुद्रप्रयाग का भवन निर्माण कब हुआ है?

इस अस्पताल के भवन निर्माण कब पूर्ण हो जाएगा?

श्री तिलक राज बेहड़—

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, तिलवाड़ा का भवन निर्माण मार्च, 1999 में प्रारम्भ हुआ।

उक्त कार्य का पुनरीक्षित आगणन प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरे जाने की योजना

15—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग चिकित्सालय में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त चल रहे हैं?

क्या सरकार इन रिक्त पदों को भरे जाने की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग चिकित्सालय में चिकित्सकों के 04 पद रिक्त चल रहे हैं।

रिक्त पदों को भरे जाने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है, जिस पर आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग जनपद के विद्यापीठ (गुप्तकाशी) में बन्द पड़ी आयुर्वेद फार्मसी को पुनः संचालित करने की मांग

16—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि रुद्रप्रयाग जनपद के विद्यापीठ (गुप्तकाशी) में बन्द पड़ी आयुर्वेद फार्मसी को पुनः संचालित करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में कुल राजकीय कृषि फार्मों की संख्या को लाभ हानि से उबारने की योजना

17—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने राजकीय कृषि फार्म हैं?

कितने राजकीय कृषि फार्म घाटे में तथा कितने राजकीय कृषि फार्म लाभ में चल रहे हैं?

घाटे में चल रहे राजकीय कृषि फार्मों को उबारने हेतु सरकार की क्या योजना है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

उत्तरांचल में वर्तमान में 02 कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, 01 राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र प्रक्षेत्र तथा 09 बीज संवर्धन प्रक्षेत्र हैं।

राजकीय कृषि बीज संवर्धन प्रक्षेत्रों में चार प्रक्षेत्र लाभ पर तथा पाँच प्रक्षेत्र घाटे पर चल रहे हैं।

घाटे पर चल रहे 05 फार्मों में से 03 फार्म क्रमशः पंवालिया, जनपद रुद्रप्रयाग नौथा जनपद टिहरी तथा सरियापानी जनपद अल्मोड़ा को समाप्त करते हुए अन्य उपयोग हेतु राज्य सरकार के विभागों/संस्थाओं को देने का प्रस्ताव विचाराधीन है। शेष 02 घाटे पर चल रहे फार्मों को उबारने हेतु सरकार द्वारा फार्मों की अवस्थापना सुविधा तथा प्रबन्धन को सुदृढ़ करने की योजना है।

जनपद टिहरी के प्रसिद्ध सुरकण्डा मन्दिर की धर्मशाला से पुलिस कब्जा हटाने की मांग

18—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रसिद्ध शक्ति पीठ माँ सुरकण्डा मन्दिर में निर्मित धर्मशाला स्थानीय जनता द्वारा एकत्रित चन्दे/दान राशि से अथवा सरकारी धन से बनी है?

क्या उक्त धर्मशाला में पुलिस का कब्जा है? यदि हाँ, तो कब तक हटा लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जनपद टिहरी गढ़वाल के माँ सुरकण्डा मन्दिर शक्ति पीठ में धर्मशाला का निर्माण स्थानीय जनता द्वारा चन्दे और दान की राशि से किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, टिहरी गढ़वाल से प्राप्त आख्या के अनुसार धर्मशाला के एक कक्ष तथा आगे के कुछ भाग पर पुलिस सुरक्षा एवं संचार की दृष्टि से एक रिपीटर केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र के लिए इस मन्दिर की समिति द्वारा लिखित सहमति दी गई है। पुलिस विभाग द्वारा अलग रिपीटर केन्द्र के निर्माण हेतु कार्यवाही की जा रही है। अतः अलग रिपीटर केन्द्र निर्मित हो जाने के उपरांत ही इस कक्ष को खाली किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के आदिबद्री तीर्थस्थल को तीर्थाटन एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की योजना

19—श्री अनिल नौटियाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के आदिबद्री नामक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को तीर्थाटन एवं पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हाँ, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले० ज० (अ० प्रा०) टी० पी० एस० रावत—

जी हाँ, जनपद चमोली के आदिबद्री तीर्थ स्थल को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में इस स्थान पर मन्दिर के निकट ही पर्यटकों की सुविधा हेतु मार्गीय सुविधा का निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इसके निर्माण के उपरांत पर्यटकों को यहां पर पार्किंग, रेस्टोरेंट एवं प्रसाधन आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हो सकेंगी। योजना पर कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में सी० एच० जी० विभाग में कार्य कर रहे स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की मानदेय राशि बढ़ाने विषयक

20—श्री अनिल नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कितने स्वास्थ्य स्वयं सेवक सी० एच० जी० विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं।

उन्हें प्रतिमाह दी जा रही मानदेय की दर क्या है?

क्या सरकार इनके मानदेय की दर बढ़ाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ तो मानदेय की दर कब तक बढ़ा दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद चमोली में 163 (एक सौ तिरेसठ) स्वास्थ्य स्वयं सेवक सी0एच0जी0 विभाग के अधीन कार्य कर रहे हैं।

50/- रुपया प्रतिमाह।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्त योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा भारत सरकार द्वारा इसका वित्त पोषण बन्द कर दिया गया है।

21—श्रीमती विजय बड़थवाल—

द्वितीय गुरुवार के अतारांकित 26 में स्थानान्तरित

जनपद पिथौरागढ़ में धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सिराकोट के सौन्दर्यीकरण की योजना

22—श्री बिशन सिंह चुफाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन स्थल सिराकोट के सौन्दर्यीकरण हेतु कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो वह योजना क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले0ज0 (अ0प्रा0) टी0पी0एस0 रावत—

जनपद पिथौरागढ़ के सिराकोट मंदिर एवं मंदिर मार्ग के सौन्दर्यीकरण एवं विद्युतीकरण हेतु योजना व आगणन गठित कराए जाने की कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत आगणन/योजना का प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हो सका है।

प्रश्न नहीं उठता?

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र के मोहनचट्टी तल्लाढांग में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण

23—श्रीमती विजय बड़थवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी-गढ़वाल के मोहनचट्टी तल्लाढांग में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस विषय में कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग के अन्तर्गत बैनीताल झील के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव

24—श्री अनिल नौटियाल—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत बैनीताल झील के सौन्दर्यीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक उक्त प्रस्ताव पर निर्णय हो जायेगा?

ले० ज० (अ० प्रा०) टी० पी० एस० रावत—

बैनीताल झील के सम्बन्ध में उपलब्ध आख्या के अनुसार यह झील आरक्षित वन क्षेत्र के अन्तर्गत है एवं इस पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा अपना स्वामित्व बताया गया है। झील के स्वामित्व के सम्बन्ध में एक वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस झील के सौन्दर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के चिन्यालीसौड़ मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की मांग

25—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक उक्त केन्द्र की स्थापना कर ली जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ में कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के विचाराधीन है। कृषि अनुसंधान परिषद् के निर्णयोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के मुख्यालय में जिला चिकित्सालय खोलने की मांग

26—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद रुद्रप्रयाग के मुख्यालय में अभी तक जिला चिकित्सालय नहीं खुल पाया है?

यदि हां, तो क्या सरकार जनपद मुख्यालय में जिला चिकित्सालय शीघ्र खुलवाने पर विचार करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

जनपद मुख्यालय में जिला चिकित्सालय भवन का निर्माण वर्ष 2002-2003 में प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के स्वास्थ्य कर्मचारियों के अग्रिम जी०पी०एफ० के भुगतान विषयक

27—श्री प्रकाश पन्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 में कितने स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपने जी०पी०एफ० के अग्रिम भुगतान हेतु आवेदन किया गया था?

क्या उक्त सभी कर्मचारियों को अग्रिम जी०पी०एफ० का भुगतान कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

वर्ष 2000-2001 में जनपद पिथौरागढ़ में 90 तथा वर्ष 2001-2002 में 163 स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपने जी०पी०एफ० के भुगतान हेतु आवेदन किया गया।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक जिले एवं तहसील में 50 शैया वाले अस्पतालों की स्थापना

28—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में बेस अस्पताल तथा प्रत्येक तहसील में 50 शैया वाले अस्पतालों की स्थापना करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त अस्पतालों की स्थापना कर दी जायेगी।

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

आगामी 03 वर्षों में।

जनपद उत्तरकाशी में नये चिकित्सालय खोलने की योजना

29—श्री माल चन्द—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में जनपद उत्तरकाशी में कौन-कौन से नये चिकित्सालय खोलने की योजना शासन के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

वर्तमान में जनपद उत्तरकाशी में शासनादेश संख्या 1045/चि0-3-2002-31/2001 दिनांक 16 नवम्बर, 2002 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुरोला की स्थापना हो चुकी है तथा 2002-03 में 03 उपकेन्द्रों का निर्माण प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में स्थित चिकित्सालयों को उच्चिकृत करने की मांग

30—श्री प्रकाश पन्त—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद-पिथौरागढ़ मुख्यालय में स्थित पुरुष तथा महिला चिकित्सालय को उच्चिकृत किये जाने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा समय-समय पर की जाती है?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद पिथौरागढ़ मुख्यालय में स्थित पुरुष तथा महिला चिकित्सालयों को उच्चिकृत करने की मांग क्षेत्रीय जनता द्वारा प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून में अवैध रूप से संचालित इंजीनियरिंग संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही

31—श्री प्रकाश पन्त—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून में विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाले कितने संस्थान कार्य कर रहे हैं?

उनमें से कितने संस्थान उत्तरांचल के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध तथा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं?

कृपया सूची समा पटल पर रखने का कष्ट करें?

क्या अवैध रूप से संचालित संस्थानों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

देहरादून में विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाले 05 संस्थान कार्यरत हैं।

एक संस्थान (ग्राफिक ईरा इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून) हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है शेष 04 संस्थानों में से देहरादून इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध है तथा भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। शेष 03 में से राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, देहरादून, राजकीय पॉलिटेक्निक, देहरादून, राजकीय पॉलिटेक्निक, देहरादून एवं निजी क्षेत्र का ओ0एन0जी0सी0 महिला पॉलिटेक्निक, देहरादून प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं।

सूची संलग्न है।

जी हाँ।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून में विभिन्न विषयों में इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाले संस्थानों की सूची:—

1—ग्राफिक ईरा इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून।

2—देहरादून इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी, देहरादून।

3—राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, देहरादून।

4—राजकीय पॉलिटेक्निक, देहरादून।

5—ओ0एन0जी0सी0 महिला पॉलिटेक्निक, देहरादून।

जनपद पिथौरागढ़ में वर्षा न होने से प्रभावित कृषकों के ऋण माफ करने के सम्बन्ध में

32—श्री प्रकाश पन्त—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में समय पर वर्षा न होने से वर्तमान फसलें प्रभावित हुई हैं तथा जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सभी कृषकों के ऋण माफ कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ में समय से वर्षा न होने के कारण वर्तमान फसलें प्रभावित हुई हैं एवं जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

जहाँ तक कृषि ऋणों को माफ करने का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराना है कि दैवी आपदा से प्रभावित लोगों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) एवं भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2002 में वितरित अल्पकालीन फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने संबंधी निर्देश सहकारी एवं व्यवसायिक बैंकों को जारी किये हैं। नाबार्ड के निर्देशानुसार सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने के फलस्वरूप कनवर्जन राशि का वित्तीय भार 60 प्रतिशत नाबार्ड द्वारा, 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा 15 प्रतिशत संबंधित जिला सहकारी बैंक और 10 प्रतिशत शीर्ष बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यवसायिक बैंकों को अल्पकालीन फसली ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित करने हेतु आदेश जारी किये गये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ में जलागम परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि
एवं कार्य प्रगति की जानकारी

33—श्री प्रकाश पन्त—

क्या जलागम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में जलागम परियोजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के लिये कितनी धनराशि किस-किस परियोजना के लिये स्वीकृत की गई थी, तथा कार्य की अद्यतन प्रगति क्या है?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

वित्तीय वर्ष 2001-02 एवं 2002-03 में जनपद पिथौरागढ़ के लिये जलागम परियोजना के अन्तर्गत परियोजनावर स्वीकृत धनराशि एवं किये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :—

सूखोन्नमुख क्षेत्रीय विकास परियोजना (डी0पी0ए0पी0)—इस परियोजना के अन्तर्गत कुल लागत रु0 450.00 लाख के सापेक्ष वर्ष 2001-02 में रु0 67.50 लाख तथा वर्ष 2002-03 में रु0 67.50 लाख स्वीकृत किये गये, अब तक कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त दोनों वर्षों में धनराशि रु0 108.85 लाख व्यय की गई है जिसमें कच्चे तालाब, पत्थर घेरबाड़, पौध रोपण, कम्पोस्ट पिट, पुस्ता निर्माण, फसल प्रदर्शन, सिंचाई हौज, पौड निर्माण, नौला निर्माण, उद्यानीकरण, चैकडैम, वनीकरण, घास रोपण, खत्तियाँ, नर्सरी, डगआउट पौड, एवं चक्रवाल आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना (आई०डब्लू०डी०पी०) मूनाकोट-परियोजनान्तर्गत कुल लागत रु० 724.68 लाख की सापेक्ष वर्ष 2001-02 में रु० 27.11 लाख तथा वर्ष 2002-03 में रु० 9.03 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है, अब तक कार्यदायी संस्था द्वारा रु० 60.02 लाख (जिसमें गत वर्ष की अवशेष धनराशि भी शामिल है) व्यय किए गए हैं, इस परियोजना के अन्तर्गत नौला निर्माण, डग आउट पोंड, रास्ता संरचना, सुरक्षा दीवार, निर्माण कार्यों हेतु वेस लाइन सर्वे, चारागाह विकास, मेडों/बाँधों पर घास रोपण, जल संचय तालाब, खेती निर्माण आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजना (आई०डब्लू०डी०पी०) कनालीछीना/डीडीहाट-इस परियोजना के अन्तर्गत कुल रु० 273.08 लाख लागत के विपरीत वर्ष 2001-02 में रु० 4.00 लाख तथा वर्ष 2002-03 में रु० 36.96 लाख स्वीकृत किये गये हैं, तथा कार्यदायी संस्था को रु० 16.00 लाख अवमुक्त किए गए हैं।

प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा की योजना

34-श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट-

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़-

जी हाँ।

प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्रा०स्वा० केन्द्रों/उपकेन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था है। उपकेन्द्रों की स्थापना 3000 की जनसंख्या पर की जाती है तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना 20,000 की जनसंख्या पर ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। वर्तमान में उत्तरांचल में 26 सामु०स्वा० केन्द्र, 257 प्रा०स्वा० केन्द्र तथा 1525 उपकेन्द्र एवं 84 मुख्य परिवार कल्याण केन्द्र स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में स्थापित 326 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों द्वारा भी प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही सीमावर्ती जनपदों पिथौरागढ़, चमोली एवं उत्तरकाशी के दूरस्थ क्षेत्रों में 03 संचल चिकित्सा इकाई चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रही है।

चिकित्सा संस्थाओं के मानक के अनुसार 553 उपकेन्द्र, 67 सामु०स्वा० केन्द्र तथा 51 प्रा०स्वा० केन्द्रों की कमी है। साथ ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के असेवित क्षेत्रों में आर०सी०एच० शिविरों के माध्यम से आर०सी०एच० आउटरीच सेशन के द्वारा मातृ शिशु कल्याण की सेवायें भी प्रदान की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लम्बित स्वास्थ्य समस्याओं के निस्तारण की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी

35—श्री माल चन्द—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लम्बी अवधि से अनिस्तारित स्वास्थ्य समस्याओं के निस्तारण के संबंध में अपर स्वास्थ्य सेवा निदेशक एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल तथा अन्य नौ अधिकारियों को पृष्ठांकित क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) का दिनांक 20 फरवरी, 2002 का पत्रांक जनपद/4-स्वास्थ्य/2001-02 कब तक प्राप्त हुआ और पत्र में वर्णित तथा बिन्दुओं में संदर्भित पत्रों प्रत्यावेदनों पर की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण क्या है?

श्री तिलक राज बेहड़—

श्री मदन सिंह नयाल पूर्व प्रमुख एवं महामंत्री जनपद विकास समिति गढ़वाल का पत्र सं० जनपद/4-स्वास्थ्य/2001-02 दिनांक 20 फरवरी, 2002 मुख्य चिकित्साधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को 26 फरवरी, 2002 को प्राप्त हुआ। पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड कोट के स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के विरुद्ध जाँच आख्या की जानकारी

36—श्री माल चन्द—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या अपर स्वास्थ्य निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के पत्रांक ए०डी०/बैठक/2001-2002/974-2 दिनांक 3/04.10.2001 द्वारा तत्कालीन क्षेत्रीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक विकास खण्ड कोट जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध डा० पंवार उप मुख्य चिकित्साधिकारी प्रथम (कार्मिक) को जाँच अधिकारी नामित किया गया था?

यदि हाँ, तो क्या जाँच आख्या प्राप्त हो गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के विकास खण्ड कोट के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र बहेड़ाखाल की परिसम्पत्तियों का बँटवारा

37—श्री माल चन्द—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उपकेन्द्र बहेड़ाखाल की परिसम्पत्तियों/कार्यप्रभार के हस्तान्तरण में हो

रही अनियमितताओं/त्रुटियों के निस्तारण के सम्बन्ध में पंचायत कोट (गढ़वाल) के पत्रांक बहेड़ाखाल/4/(01)/उपकेन्द्रों/2001-02 दिनांक 8 जनवरी, 2002 में उठाये गये बिन्दुओं तथा उन पर की गई कार्यवाही का विवरण क्या है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद—पौड़ी गढ़वाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोट के अन्तर्गत उपकेन्द्र बहेड़ाखाल की परिसम्पत्तियों का हस्तान्तरण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के दिचली (गमती) के टिहरी बांध प्रभावितों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था

38—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि जनपद उत्तरकाशी के दिचली (गमती) के टिहरी बांध प्रभावित गांवों के लोगों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम आना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या बल्डोगी एवं स्यांसू में भागीरथी पर बने पुलों के डूबने से उनके लिये चिकित्सा, स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं। दिचली में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय स्थापित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में वाहनों से फैल रहे प्रदूषण को रोकने हेतु नीति

39—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के मुख्य शहरों में वाहनों से फैल रहे प्रदूषण से मुक्ति दिलाने हेतु सरकार क्या नीति बनाने जा रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

वाहनों द्वारा प्रदेश के मुख्य शहरों में फैलाये जा रहे प्रदूषण को नियन्त्रित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा परिवहन, पर्यावरण एवं पुलिस प्रशासन की सम्मिलित टास्क

फोर्स का गठन किया गया है, जिनके द्वारा समय-समय पर विशेष चैकिंग अभियान चलाकर वाहनों से होने वाले प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

इसके अतिरिक्त अब केवल यूरो-1 एवं यूरो-2 मानकों वाली वाहनों के ही पंजीयन की अनुमति प्रदान की जा रही है।

देहरादून शहर में उत्तरांचल की राजधानी बन जाने के कारण वाहनों के बढ़ते दबाव को दृष्टिगत रखते हुये प्रदूषण पर अंकुश लगाने हेतु नये विक्रम एवं ऑटोरिक्षा के परमिट जारी करने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया गया है तथापि पुराने परमिटों पर नये वाहन प्रतिस्थापन करने की अनुमति दी जा रही है। साथ ही राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तरांचल द्वारा अपनी बैठक दिनांक 15-11-2002 में देहरादून शहर में प्रदूषण की रोकथाम हेतु विक्रम एवं डीजल चालित ऑटोरिक्षाओं की माडल सीमा 07 वर्ष निर्धारित की है उक्त माडल सीमा का अनुपालन हेतु संभागीय परिवहन प्राधिकरण देहरादून को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में चल रही परिवहन निगम की बसों की स्थिति

40—श्रीमती विजय बड़थवाल—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि यमकेश्वर क्षेत्र जनपद-पौड़ी के मोटर मार्गों पर चलने वाली परिवहन निगम की बसों की स्थिति ठीक नहीं है?

यदि हाँ, तो क्या इन मार्गों पर जी०एम०ओ०यू० की बसों को परमिट दिये जायेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

यमकेश्वर क्षेत्र जनपद पौड़ी के मोटर मार्गों पर चलने वाली परिवहन निगम की बसों की स्थिति ठीक है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

41—श्री प्रेमानन्द महाजन—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रबन्धन समिति द्वारा नियमित चयन हेतु कोई सूची जारी की गई है?

क्या उक्त प्रकरण शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इन दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा कोई सूची जारी नहीं की गई है, मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26-06-2001 के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की सूची अगस्त, 2002 में जारी की गई।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है, निर्णयोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जनपद चमोली में साहसिक पर्यटन संस्थान खोलने की योजना

42—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चमोली जनपद में साहसिक पर्यटन के लिये किसी संस्थान को खोलने की योजना पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले० ज० (अ० प्रा०) टी० पी० एस० रावत—

वर्तमान में जनपद चमोली में साहसिक पर्यटन के लिये कोई संस्थान खोले जाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

वर्तमान में उत्तरांचल के दोनों मण्डलों में युवक/युवतियों को साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित गतिविधियों का प्रशिक्षण दिये जाने हेतु जनपद उत्तरकाशी एवं जनपद अल्मोड़ा में दो विशेष कार्याधिकारी, साहसिक पर्यटन कार्यालय स्थापित किये गये हैं। इन कार्यालयों के माध्यम से विभिन्न साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण कार्यक्रमों/अभियानों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। अतः वर्तमान में जनपद चमोली में अलग से संस्थान खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

देहरादून—नागनाथ पोखरी बस सेवा पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में

43—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या परिवहन मंत्री अवगत है कि जनपद चमोली के नागनाथ पोखरी हेतु रोडवेज बस सेवा देहरादून से प्रारम्भ थी जो विगत कई माह से बन्द है?

क्या सरकार इस बस सेवा को पुनः प्रारम्भ करेगी?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ, पूर्व में पर्वतीय डिपो देहरादून से यह सेवा देहरादून नागनाथ पोखरी हेतु मई, 1998 से सितम्बर, 1998 तक संचालित की गयी थी एवं तत्समय उक्त सेवा का परमिट भी था। इस सेवा की आय निरन्तर गिरने के कारण एवं बसों की कमी के कारण व परमिट की वैधता समाप्त होने के कारण इस सेवा को बन्द किया गया था।

वर्तमान में डिपो में बसों की कमी होने के कारण एवं परमिट न होने के कारण उक्त सेवा प्रारम्भ किया जाना सम्भव नहीं है।

यदि परिवहन निगम को पर्वतीय मार्गों के संचालन हेतु नयी बस उपलब्ध होती है तो उक्त मार्ग का परमिट प्राप्त कर संचालन किया जाना सम्भव हो पायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून से चमोली के विकास खण्ड घाट हेतु बस सेवा आरम्भ करने विषयक

44—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली विकास खण्ड घाट हेतु देहरादून से सीधी बस सेवा प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हां, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

देहरादून से ऋषिकेश तक का मार्ग का भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग होने के कारण देहरादून से ऋषिकेश-घाट मार्ग पर निजी आपरेटर्स को परमिट जारी नहीं किये जा सकते हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद चमोली में तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

45—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में नये तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं।

वर्तमान में कतिपय अपूर्ण पॉलिटेक्निक संस्थाओं को सर्वप्रथम मूल भूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सुदृढ़ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिसके अन्तर्गत भूमि, भवन, शिक्षण व्यवस्था, पुस्तकालय, छात्रावास एवं प्रयोगशाला आदि सम्मिलित हैं।

जनपद चमोली के अन्तर्गत नागनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण की योजना

46—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के नागनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु सरकार के पास कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के नागनाथ मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

विभिन्न जनपदों के मन्दिरों अथवा छोटे-छोटे पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण पर्यटन की जिला योजना, पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण के अन्तर्गत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव जनपद स्तरीय जिला अनुश्रवण समिति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। यदि भविष्य में जनपद स्तर से इस मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु योजना प्रस्तावित की जाती है तो उस पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सामूहिक स्कूटर यात्रा पर प्रतिबन्ध लगाने विषयक

47—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्रों में काफिला बनाकर स्कूटर यात्रा करने वालों पर सरकार प्रतिबन्ध लगाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

काफिला बनाकर यात्रा करना सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से खतरनाक है व खतरनाक तरीके से सड़कों पर वाहन चलाये जाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है तथा समय-समय पर सड़क से संबंधित अभियान चलाकर दोषी पाये जाने वालों पर नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

48—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 112 एवं 183 के अन्तर्गत निर्धारित गति से अधिक तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है, जिन पर विभाग द्वारा मार्ग चैकिंग के दौरान कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चार धाम यात्रा वर्ष 2002 में बाहर के वाहनों से प्राप्त राजस्व की जानकारी

49—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि इस वर्ष चार धाम यात्रा योजना में उत्तरांचल से बाहर के कुल कितने वाहनों से यात्रा की गयी तथा इन वाहनों से सरकार को कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

यात्रा वर्ष 2002 में अन्य राज्यों से कितने वाहन आये इस प्रकार का कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं होता है, तथापि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवहन विभाग की यात्राकाल में यात्रा मार्गों एवं राज्य की सीमा पर स्थापित चैक पोस्टों पर दिनांक 14-5-2002 से 15-7-2002 तक कुल 6083 वाहनों को चैक किया गया तथा रुपये 140.93 लाख राजस्व की वसूली की गयी है।

राज्य में पूर्व सैनिक पुनर्वास अधिकारी के रिक्त पद पर सैन्य अधिकारियों को सेवायोजित किया जाना

50—श्री प्रकाश पन्त—

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के कितने जनपदों में पूर्व सैनिक पुनर्वास अधिकारी के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार इन पदों पर सैन्य अधिकारियों को सेवायोजित करेगी?

यदि हाँ, तो क्यों?

ले० ज० (अ० प्रा०) टी० पी० एस० रावत—

मात्र एक जनपद चम्पावत में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी का पद रिक्त है।

जी हाँ।

क्योंकि केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देशानुसार सैनिक कल्याण विभाग में श्रेणी 'क' के पदों पर सैन्य सेवा से सेवानिवृत्त कमीशनड अधिकारियों को ही पुनर्योजित किया जाता है।

राज्य में पूर्व सैनिकों हेतु पृथक विभाग की मांग

51—श्री प्रकाश पन्त—

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार उत्तरांचल में पूर्व सैनिकों की संख्या को देखते हुए एक पृथक विभाग खोलने का विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि पूर्व सैनिकों की संख्या को देखते हुये सैनिक कल्याण निदेशालय का गठन शासनादेश संख्या : 925/स०क०/वै०स०/2001, दिनांक 26 दिसम्बर, 2001 के द्वारा किया जा चुका है।

स्वास्थ्य केन्द्र गंगोलीहाट में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

52—श्री नारायण राम आर्य—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उच्चिकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ में सृजित चिकित्सक के पदों पर नियुक्तियाँ कब तक हो जायेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंगोलीहाट, पिथौरागढ़ में पदों के सृजन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1045/चि०-3-2002-31/2002, दिनांक 16 नवम्बर, 2002 के द्वारा दे दी गयी है। लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल द्वारा चिकित्सकों की नियुक्ति के लिये चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। चयनोपरान्त यथा सम्भव चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के घनसाली क्षेत्र में पर्यटन की दृष्टि व प्राकृतिक स्थलों के रूप में चिन्हित स्थानों की जानकारी

53—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी-गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में किन स्थलों, बुग्यालों व प्राकृतिक झीलों को पर्यटन की दृष्टि से व प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों के रूप में चिन्हित किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जनपद टिहरी-गढ़वाल के धनसाली विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान में मासरताल, पाख स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिर आदि के सौन्दर्यीकरण आदि का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त जनपद, टिहरी में घुत्तु-खतलिंग ट्रैक मार्ग, सैम मुखेम ट्रैक मार्ग एवं ओतड़ से नाग टिब्बा ट्रैक मार्ग पर भी कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में उच्चीकृत किये जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जनपदवार स्थिति

54—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सरकार उत्तरांचल के कुल कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उच्चीकरण करने जा रही है?

क्या सरकार इनकी जनपदवार स्थिति स्पष्ट करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

वित्तीय वर्ष 2002-2003 में सरकार ने उत्तरांचल के 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उच्चीकरण का लक्ष्य रखा है।

जनपदवार स्थिति निम्न है :—

कोटाबाग	—	नैनीताल
नैनीडांडा	—	पौड़ी
जखौली	—	रुद्रप्रयाग
थराली	—	चमोली
हिन्दोलाखाल	—	टिहरी

इनमें से कोटाबाग, नैनीडांडा व जखौली के उच्चीकरण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में जलागम की योजनाओं की जानकारी

55—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या जलागम प्रबन्ध मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में जलागम की कौन-कौन सी योजनाएं किन-किन विकास खण्डों में चल रही हैं?

क्या सभी गाँवों को इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जी हाँ। जनपद चमोली में जलागम की चल रही योजनाओं का विकास खण्डवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र०सं० योजना का नाम	विकास खण्ड का नाम
1. डी०पी०ए०पी०	जोशीमठ, नारायणबगड़, थराली, गैरसैंण
2. आई०डब्लू०डी०पी०	दशोली, घाट, पोखरी, देवाल कर्णप्रयाग
3. राष्ट्रीय जलागम	जोशीमठ, घाट, दशोली, पोखरी, कर्णप्रयाग, देवाल, थराली, नारायणबगड़, गैरसैंण

जी नहीं।

क्योंकि जलागम प्रबन्ध के अन्तर्गत गाँवों को सूक्ष्म जलागम आधार पर लाभान्वित किया जाता है। एक सूक्ष्म जलागम क्षेत्र लाभान्वित होने के पश्चात् दूसरे जलागम क्षेत्र में गाँवों को लाभान्वित करने की नीति है। वर्तमान में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कुल 274 गाँव लाभान्वित किये जाने हेतु चयनित हैं।

जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव में एक्स-रे मशीन एवं तकनीशियन उपलब्ध कराने विषयक

56—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वा० मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव, में एक्स-रे मशीन तथा तकनीशियन उपलब्ध हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या सरकार वहां उपरोक्त सुविधा उपलब्ध करायेगी?

यदि हां, तो कब तक?

श्री तिलक राज बेहड़—

नौगांव, जनपद उत्तरकाशी में प्रा०स्वा० केन्द्र नहीं बल्कि सामु०स्वा०केन्द्र स्थापित है, तथा उसमें एक्स-रे मशीन तथा तकनीशियन उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में प्राइवेट वार्ड की जानकारी

57—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में कुल कितने प्राइवेट वार्ड हैं?

जनवरी, 2002 में वर्तमान तक कुल कितने मरीज प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए हैं?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में कुल दो प्राइवेट वार्ड हैं।

जनवरी, 2002 से 1-10-2002 तक कुल 24 रोगी प्राइवेट वार्ड में भर्ती हुए।

उत्तर प्रदेश द्वारा सरप्लस घोषित कृषि आपूर्ति योजना के कर्मचारियों का समायोजन

58—डा० अनुसूया प्रसाद मैथुरी—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरप्लस घोषित कृषि आपूर्ति योजना के कर्मचारियों को कृषि विभाग उत्तरांचल में समायोजित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जी हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरप्लस घोषित कृषि आपूर्ति योजना के चिन्हित कर्मचारियों में से अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-3 के 04, कनिष्ठ लिपिक के 39, ड्राईवर (चालक) 02, कामदार का 01 तथा चतुर्थ श्रेणी के 19 कार्मिकों को विभाग में रिक्त चल रहे अन्य अधिष्ठान के पदों में समायोजित किये जाने के आदेश शासन के पत्र संख्या-1157/कृषि-रिट-2(15)/01, दिनांक 2-11-2002 द्वारा निर्णित किये गये हैं।

59—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

द्वितीय शुक्रवार तक स्थगित।

जनपद नैनीताल के रामगढ़ में डिस्टिलरी खोलने का प्रस्ताव

60—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या आबकारी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार प्रदेश में कोई डिस्टिलरी खोलने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो क्या रामगढ़ नैनीताल में डिस्टिलरी खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जी नहीं।

जी नहीं।

गोपेश्वर, जनपद चमोली में महिला पॉलिटेक्निक खोलने के सम्बन्ध में

61—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोपेश्वर, जनपद चमोली में महिला पॉलिटेक्निक खोले जाने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक, इस पर निर्णय हो जायेगा?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2002 तक राज्य में प्रशिक्षित फार्मासिस्टों को रोजगार प्रदान करने विषयक

62—डा० अनुसूया प्रसाद मैखुरी—

क्या चिकित्सा मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002 तक के उत्तरांचल में प्रशिक्षित डिप्लोमा फार्मासिस्टों को रोजगार प्रदान कराने हेतु शासन स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है?

यदि हां, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

श्री तिलक राज बेहड़—

उत्तरांचल राज्य में चिकित्सा विभाग में चीफ फार्मासिस्ट/फार्मासिस्ट के 866 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष 862 चीफ फार्मासिस्ट/फार्मासिस्ट कार्यरत हैं। शेष 04 रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही भविष्य में की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उत्तरांचल हेल्थ सिस्टम परियोजना की जानकारी

63—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल हेल्थ सिस्टम परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

12 जनपदों में 38 एम्बुलेन्स की व्यवस्था कर क्षेत्रीय जनता को किस प्रकार चिकित्सा सुविधा दी जाएगी?

श्री तिलक राज बेहड़—

उत्तरांचल हेल्थ सिस्टम डैवलपमेन्ट परियोजना का उद्देश्य स्कोरिंग के आधार पर द्वितीय स्तर की 35 चिन्हित चिकित्सा इकाईयों के भवनों की मरम्मत, उपकरणों की व्यवस्था एवं अतिरिक्त औषधियों की व्यवस्था के द्वारा इन इकाईयों को सुदृढ़ करना है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नीतिगत सुधार, मानव संसाधन विकास, निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं अभिनवीकरण योजनाओं द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में गुणात्मक सुधार करना है।

इस परियोजना द्वारा 38 रोगी वाहनों को बड़े चिकित्सालयों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर ही उपलब्ध कराया गया है। इनका उपयोग रोगियों के संदर्भन (रैफरल) हेतु किया जा सकेगा और चिकित्सा उपचार प्राप्त करने में क्षेत्रीय जनता को त्वरित सेवा मिल सकेगी।

जनपद पौड़ी के सतपुली में राजकीय चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि की जानकारी

64—श्रीमती विजय बड़थवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद-पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली में राजकीय चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिए धनराशि किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी थी?

उक्त भवन निर्माण पर अब तक कितना धन खर्च किया गया?

क्या इस वर्ष भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सतपुली, जनपद पौड़ी गढ़वाल भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में रु0 49.92 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी।

उक्त भवन निर्माण पर अब तक रु0 47.35 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

उक्त प्रकरण पर जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल के स्तर से जांच करायी गयी। जांच आख्या के निष्पादन एवं पुनरीक्षित स्वीकृति होने पर कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी मुख्यालय थत्यूड के "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र"
भवन के निर्माण पूर्ण कराने विषयक

65—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड मुख्यालय थत्यूड में स्वीकृत/निर्माणाधीन "सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र" के भवन का निर्माण कब तक पूर्ण किया जायेगा?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के कैमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा को डिप्लोमा इंजीनियरिंग
ट्रेड के समकक्ष माने जाने की मांग

66—श्री प्रीतम सिंह पंवार—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कैमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा को कृषि/मैकेनिकल/सिविल डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेड के समकक्ष माना जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा कृषि/मैकेनिकल/सिविल एवं कैमिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त है। इसी प्रकार उक्त पाठ्यक्रम प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के भिलंगना व बालगंगा नदी में शीत खेलों को बढ़ावा देने की योजना

67—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के भिलंगना व बाल गंगा नदी में रिवर-राफ्टिंग क्याखी-बुग्याल में शीत खेल स्कीईंग व पैरा ग्लाइडिंग तथा पर्वतारोहण की अपार सम्भावनाएं हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त खेलों को बढ़ावा देने के लिये कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जी हाँ, भिलंगना, बाल गंगा, गंगा, यमुना, टौंस, काली नदी, अलकनंदा आदि-आदि नदियों में रिवर राफ्टिंग की काफी संभावनाएं हैं। ऐसी विभिन्न नदियों में रिवर राफ्टिंग के लिये उपयुक्त स्थल भी चयन किये गये हैं, जिनमें घनसाली से गडोलिया तक का नदी क्षेत्र भी सम्मिलित है। इन स्थानों पर राफ्टिंग के लिये निजी कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी प्रकार से शीत खेल, स्कीईंग, पैरा-ग्लाइडिंग तथा पर्वतारोहण के लिये भी योजनाबद्ध तरीके से निजी कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार के ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर में स्थापित शराब की दुकानों को स्थानान्तरित करने की मांग

68—श्री तसलीम अहमद—

क्या आबकारी मंत्री अवगत हैं कि ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर तहसील लक्सर, जनपद हरिद्वार में ग्रामवासियों की आपत्ति के बावजूद भी शराब की दुकान खुली है?

यदि हाँ तो क्या मंत्री जी जनहित में उक्त दुकान को तत्काल आबादी से बाहर स्थानान्तरित कराने की कार्यवाही करेंगे?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

ग्राम सुल्तानपुर आदमपुर तहसील लक्सर में मदिरा की दुकान विगत वर्षों से ही चल रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

“राज्य रक्षालय संस्थान” नैनीताल के औषधि निर्माण लाइसेन्स का नवीनीकरण

69—डॉ० नारायण सिंह जंतवाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि “राज्य रक्षालय संस्थान” पटवाडागर, जनपद नैनीताल का औषधि निर्माण लाइसेन्स सन् 1995 से नवीनीकरण न कराये जाने के कारण रद्द कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो औषधि निर्माण लाइसेन्स का नवीनीकरण न कराये जाने के लिये कौन जिम्मेदार है तथा कब तक लाइसेन्स का नवीनीकरण कर औषधि निर्माण लाइसेन्स प्राप्त कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में द्विवार्षिक प्रशिक्षु वायरमैन के रिक्त पदों पर नियुक्ति विषयक

70—श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी—

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान में उत्तरांचल में द्विवार्षिक प्रशिक्षु वायरमैन के कितने पद रिक्त हैं? क्या इन रिक्त पदों पर प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिये जाने से सम्बन्धित कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

एन०सी०वी०टी० भारत सरकार के पाठ्यक्रमानुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से दो वर्षीय व्यवसाय वायरमैन में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के लिये शिशिक्षु अधिनियम-1961 के अन्तर्गत एक वर्ष के शिशिक्षु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। शिशिक्षु के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिष्ठान/नियोजक का है। वर्तमान में उत्तरांचल के विभिन्न अधिष्ठानों में 66 (छियासठ) शिशिक्षु के स्थान रिक्त हैं।

जनपद पिथौरागढ़ के बांस क्षेत्र के खाद गोदाम का अन्यत्र सम्बद्ध एवं उसका पुनः वहीं संचालन की माँग

71—श्री प्रकाश पन्त—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के बांस क्षेत्र में खाद गोदाम पूर्व में संचालित किया जाता था?

यदि हाँ तो क्या वर्तमान में उक्त खाद गोदाम अन्यत्र सम्बद्ध कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो सम्बद्ध किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या बांस क्षेत्र में खाद गोदाम पुनः संचालित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जी हाँ। जनपद पिथौरागढ़ के बांस क्षेत्र में खाद गोदाम पूर्व में संचालित किया जाता था।

जी नहीं। वर्ष 1997-98 से विभाग को उर्वरक आपूर्ति बन्द हो जाने के कारण जनपदों के समस्त बिक्री केन्द्रों को बन्द किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसके कारण समस्त बिक्री केन्द्र बन्द कर दिये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान में बांस क्षेत्र में खाद गोदाम पुनः संचालित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्य के टैक्सी चालकों के परमिट/परमिट फीस की जानकारी

72—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि टैक्सी चालकों को वर्तमान समय में परमिट उत्तरांचल के सभी जिलों के लिए दिया जाता है?

क्या यह सही है कि टैक्सी चालकों को यू0पी0 के परमिट के आधार पर परमिट फीस देनी पड़ती है?

यदि हाँ, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

वर्तमान में उत्तरांचल राज्य में टैक्सी चालकों को उनके द्वारा वाहनों के परमिट आवेदन करने पर संभाग में संभागीय परिवहन प्राधिकरणों द्वारा अपने-अपने संभाग के लिये तथा राज्य में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार हार्डटाप वाहनों को ही उत्तरांचल राज्य का टैक्सी परमिट जारी किया जाता है।

वर्तमान में उत्तरांचल में पूर्ववर्ती राज्य उ0प्र0 की नियमावली ही लागू है। अतः नियमावली के नियम-125 में निर्धारित की गयी परमिट फीस के अनुसार ही उत्तरांचल के टैक्सी चालकों से परमिट फीस वसूली जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्व सैनिक परिषद् का गठन/नामित सदस्यों की जानकारी

73—श्री प्रकाश पन्त—

क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या पूर्व सैनिक परिषद् का गठन कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो परिषद् के सदस्यों में किस रैंक के गैर-सरकारी पूर्व सैनिक को नामित किया गया है?

क्या नामित सदस्यों में जे०सी०ओ० रैंक तथा नीचे के रैंक के सैन्य अधिकारी तथा सैनिक भी नामित किये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जी हाँ। अधिसूचना संख्या : 246-सै०क-02-71 (सैनिक कल्याण)/2002, दिनांक 22 अक्टूबर, 2002 को "उत्तरांचल राज्य सैनिक कल्याण परिषद्" का गठन कर दिया गया है।

परिषद् के सदस्यों में ले० जनरल रैंक से कैप्टन रैंक तक के गैर-सरकारी पूर्व सैन्य अधिकारियों को नामित किया गया है।

जी नहीं।

यह राज्य स्तरीय समिति है जिसमें राज्य के मा० मुख्यमंत्री, अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव तथा सचिव स्तर के अन्य अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं। अतः इसमें जे०सी०ओ० तथा नीचे के रैंक के सैनिक को नामित नहीं किया गया है।

जनपद टिहरी के प्रमुख तीर्थ स्थलों हेतु देहरादून व हरिद्वार से परिवहन निगम की बसें संचालित करने की योजना

74—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में परिवहन निगम द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल हेतु हरिद्वार व देहरादून से बसें संचालित किये जाने की सरकार की कोई योजना है?

यदि हाँ तो कब तक उक्त मार्ग पर राज्य परिवहन निगम की बसें चलनी प्रारम्भ हो जायेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल हेतु हरिद्वार से बूढ़ाकेदार मार्ग का हरिद्वार-ऋषिकेश भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग है एवं देहरादून से बूढ़ाकेदार मार्ग का देहरादून-डोईवाला, ऋषिकेश भाग राष्ट्रीयकृत मार्ग है, जिसमें वर्तमान में पर्याप्त संख्या में परिवहन निगम की बसें संचालित हो रही हैं।

ऋषिकेश से बूढ़ाकेदार का मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है जिस पर परिवहन निगम की बस को संचालित किये जाने हेतु मार्ग का सर्वे करवाना होगा तत्पश्चात् सम्यक् निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत प्रशिक्षण मित्र अनुदेशकों की सेवा विस्तार योजना

75—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षण मित्र अनुदेशकों की सेवा विस्तार करने की सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ तो, कब तक?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

उत्तरांचल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षण मित्र अनुदेशकों के कार्यकाल का विस्तार दिनांक 28 फरवरी, 2003 तक किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बूढ़ाकेदार से उत्तरकाशी, गंगोत्री बस सेवा की मांग

76—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार बूढ़ाकेदार से उत्तरकाशी, गंगोत्री हेतु यात्रा बस लगाने जा रही है?

यदि हाँ तो कब से?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी नहीं, बूढ़ाकेदार से उत्तरकाशी गंगोत्री मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है, वर्तमान में बूढ़ाकेदार से उत्तरकाशी, गंगोत्री हेतु परिवहन निगम के द्वारा बसें संचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उक्त मार्ग पर परिवहन निगम की बसों को संचालित कराने हेतु मार्ग का सर्वे करवाना होगा तभी सम्यक् निर्णय लिया जाना संभव होगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद टिहरी में एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या/डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के विषय में

77—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कितने एलोपैथिक अस्पताल हैं?

इन अस्पतालों में डाक्टर के रिक्त पदों को भरने की सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद टिहरी गढ़वाल में 32 राजकीय पुरुष एलोपैथिक तथा 5 ग्रामीण महिला एलोपैथिक अस्पताल हैं।

इन अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल को अधियाचन भेजा गया था तथा लोक सेवा आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके अतिरिक्त संविदा के आधार पर भी चिकित्सकों की तैनाती की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों की संख्या/डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने की मांग

78—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी में कितने राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल हैं?

इन अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल 69 राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल हैं।

जनपद टिहरी में इन 69 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में से 10 नये राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों में पदों के सृजन के उपरान्त पदों को भरने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कुल कार्यरत महिला/पुरुष डाक्टरों की संख्या का ब्यौरा

79—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में कुल कितने डाक्टर तथा महिला डाक्टर कार्यरत हैं?

क्या सरकार जनपदवार चिकित्सकों तथा महिला चिकित्सकों की संख्या का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी?

श्री तिलक राज बेहड़—

उत्तरांचल प्रदेश में 666 पुरुष तथा 110 महिला चिकित्साधिकारी वर्तमान में कार्यरत हैं।

साधारण ग्रेड (पुरुष) चिकित्सकों एवं महिला चिकित्सकों के जनपदवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :—

जनपद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	संविदा पर तैनात चिकित्सक
<u>साधारण ग्रेड (पुरुष) चिकित्सक</u>				
पौड़ी गढ़वाल	186	82	104	23
देहरादून	133	108	25	01
टिहरी	105	28	77	13
चमोली	80	41	39	10
उत्तरकाशी	78	40	38	07
हरिद्वार	71	60	11	—
रुद्रप्रयाग	46	10	36	15
नैनीताल	151	81	70	04
अल्मोड़ा	138	81	57	28
पिथौरागढ़	105	44	61	12
ऊधमसिंह नगर	84	53	31	—
बागेश्वर	29	13	16	05
चम्पावत	37	15	22	06
योग	1243	656	587	124
महानिदेशालय/विश्व बैंक परियोजना में पद स्थापना पर कार्यरत चिकित्साधिकारी	—	10	—10	—
कुल योग	1243	666	577	124

जनपद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	संविदा पर तैनात चिकित्सक
-------------	---------	---------	-------	-----------------------------

साधारण ग्रेड (महिला) चिकित्सक

पौड़ी गढ़वाल	21	08	13	07
देहरादून	33	33	—	—
टिहरी	11	04	07	04
चमोली	09	02	07	02
उत्तरकाशी	08	05	03	02
हरिद्वार	09	09	—	—
रुद्रप्रयाग	04	—	04	—
नैनीताल	14	14	—	—
अल्मोड़ा	16	12	04	—
पिथौरागढ़	10	07	03	02
ऊधमसिंह नगर	10	08	02	—
बागेश्वर	02	—	02	02
चम्पावत	05	02	03	—
योग	152	104	48	19
महानिदेशालय/विश्व बैंक परियोजना में पद स्थापना पर कार्यरत चिकित्साधिकारी	—	6	—6	—
कुल योग	152	110	42	19

टिहरी गढ़वाल के पौखाल में भूकम्प से क्षतिग्रस्त आयुर्वेदिक अस्पताल
का पुनर्निर्माण की मांग

80—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी-गढ़वाल के पौखाल नामक स्थल पर आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो गया था?

यदि हाँ, तो क्या उक्त क्षतिग्रस्त भवन का पुनर्निर्माण किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक भवन बनाने की स्वीकृति मिल जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जनपद टिहरी गढ़वाल के पौखाल नामक स्थान पर आयुर्वेदिक अस्पताल का भवन भूकम्प से नहीं बल्कि पेड़ गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था।

पुनर्निर्माण किया जा रहा है।

भवन बनाने की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष 2001-02 में प्राप्त हो चुकी है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के चमियाला स्थित आई0टी0आई0 में रिक्त अनुदेशकों के पदों पर भर्ती की मांग

81—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के चमियाला स्थित आई0टी0आई0 में कितने अनुदेशकों के पद रिक्त हैं?

इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के चमियाला स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में अनुदेशकों के कुल दो पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरने हेतु विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गयी थी, परन्तु मा0 न्यायालय द्वारा एक रिट याचिका में पारित अंतरिम आदेश के फलस्वरूप भर्ती प्रक्रिया स्थगित कर दी गयी है। पुनः रिक्त पदों को भरने हेतु यथा-आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी गढ़वाल के घनसाली क्षेत्र के मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों की जानकारी

82—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी-गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों में मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र चल रहे हैं तथा कितने केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं?

श्री तिलक राज बेहड़—

घनसाली विधान सभा क्षेत्र में 25 स्वास्थ्य उपकेन्द्र कार्यरत/स्थापित हैं तथा 03 नये उपकेन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं। नये उपकेन्द्रों की स्थापना, भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्भव होगी।

जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोलने की मांग

83—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के बूढ़ाकेदार क्षेत्र के 22 गांव की एक न्याय पंचायत क्षेत्र में एक भी ऐलोपैथिक चिकित्सालय नहीं है?

यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में अविलम्ब बूढ़ाकेदार में ऐलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने पर विचार करेगी?

यदि हां, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हां।

बूढ़ाकेदार में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय थातीकठूड़ स्थापित है व 05 किलोमीटर की दूरी पर राजकीय ऐलोपैथिक चिकित्सालय खवाड़ा स्थापित/कार्यरत है, जिससे जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के घनसाली क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्थलों के विकास की योजना

84—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री अवगत है कि जनपद टिहरी-गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के बूढ़ाकेदार, मासरताल, लिंगताल, लम्बताल, सहस्रताल, क्याखी बुग्याल, कुश कल्याण, चंदियारताल, जरालताल, मज्याड़ताल, ज्वालामुखी, हरकुणी, रघुनाथ छुत्तु, विरोध खतलिंग, पंवाली कांडा, पलिंगा सौड़, भैहन चूलागढ़ राजराजेश्वरी, बेलेश्वर,

रानीगढ़, नन्दादेवी, भांसरताल-रतकोट, जगदीशिला, विशोन (विश्वनाथ), बाला सुन्दरी तथा मानिकनाथ नामक पर्यटक स्थल हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त पर्यटन स्थलों के विकास की कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जनपद स्तर पर छोटे पर्यटन स्थलों के सौन्दर्यीकरण की योजना पर्यटन विभाग द्वारा जिला योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जाती है। इसी योजना के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में राजराजेश्वरी मंदिर, नन्दादेवी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर, पाक स्थित लक्ष्मी नारायण मन्दिर, कोट स्थित दुर्गा देवी मन्दिर एवं भासरताल के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। अन्य स्थलों को इस योजना के अंतर्गत आगामी वर्षों में योजना प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् सम्मिलित किया जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के पर्यटक स्थल भासरताल, जरालताल एवं मज्याड़ताल को विकसित करने की योजना/स्वरूप

85—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी-गढ़वाल के पर्यटक स्थल भासरताल, जरालताल और मज्याड़ताल को विकसित करने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना का स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले०ज० (अ०प्रा०) टी०पी०एस० रावत—

जनपद टिहरी-गढ़वाल के पर्यटक स्थल के भासरताल पट्टी हिन्दाव के सौन्दर्यीकरण हेतु एक योजना गत वित्तीय वर्ष 2001-02 में स्वीकृत की गई है तथा इस योजना हेतु कुछ धनराशि भी निर्गत की गई है। योजना का कार्य प्रगति पर है। जरालताल तथा मज्याड़ताल के सौन्दर्यीकरण हेतु अभी कोई योजना प्रस्तावित नहीं की गई है।

जनपद स्तरीय छोटे पर्यटक स्थलों के सौन्दर्यीकरण हेतु जिला योजना के अंतर्गत योजनाएं स्वीकृत की जाती हैं जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों द्वारा अनुमोदित की जाती हैं। जरालताल व मज्याड़ताल के लिए जनपद स्तर से अभी कोई योजना शासन को प्राप्त नहीं हो सकी है।

मण्डी स्थल रुड़की के निर्माण कार्यों की जांच आख्या के आधार पर की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

86—श्री विजयपाल सिंह सजवाण—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवीन मण्डी स्थल रुड़की के निर्माण कार्यों की जांच हेतु गठित समिति की जांच आख्या दिनांक 30-9-99 शासन के संज्ञान में है? यदि हाँ तो जांच आख्या के आधार पर किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या-क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही अब तक की गई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जी हाँ। नवीन मण्डी स्थल रुड़की से संबंधित अनियमितताओं की जाँच उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा कराई गई थी। इस जाँच के फलस्वरूप श्री हरिराम तत्कालीन उपनिदेशक (निर्माण) (जो उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं) को निलम्बित किया गया था, जिन्हें बाद में प्रतिकूल प्रविष्टि देकर बहाल किया गया, तथा श्री एस0एस0 परमार, उपनिदेशक (निर्माण) से स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री परमार द्वारा यथासमय निर्माणाधीन कार्यों में हुए विचलन की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई, परन्तु बाद में विचलन की कार्योंत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। श्री परमार को यथासमय विचलन की स्वीकृति प्राप्त न करने हेतु भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है।

स्व0 श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट के परिवार को
पेंशन इत्यादि देयकों का शीघ्र भुगतान

87—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्व0 श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट, रा0 आयुर्वेदिक अस्पताल, भिकियासैण (चमड़खान), जनपद अल्मोड़ा, 1989 में सेवानिवृत्त होने के बावजूद भी इनका पेंशन ग्रेच्युटी, तथा अन्य देयकों का भुगतान इनके उत्तराधिकारियों को नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो विलम्ब का क्या कारण है?

क्या सरकार स्व0 श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी के परिवार को उनके समस्त देयकों का भुगतान यथाशीघ्र करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

श्री रमेशचन्द्र त्रिपाठी, सेवा निवृत्त फार्मासिस्ट की पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है। अन्य देयकों में सामान्य भविष्य निधि का भुगतान किया जा चुका है।

महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा उनकी सेवा को पेंशन, ग्रेच्युटी हेतु अर्हकारी नहीं मानने के कारण पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा सका है।

महालेखाकार द्वारा अनुमन्य न किये जाने के कारण उनके परिवार को पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रुद्रप्रयाग में रा0आयु0 चिकित्सालय के भवन निर्माण की जानकारी

88—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में रा0आयु0 चिकित्सालय जेन्टा बैरागराड बछणस्यूँ के भवन निर्माण हेतु जनता द्वारा भूमि दी गई है?

यदि हाँ, तो उक्त भवन कब तक बन जायेगा?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

समय निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

89—श्री बलबीर सिंह नेगी—

द्वितीय बुधवार के अतारांकित 1 में स्थानान्तरित

जनपद टिहरी के जरालताल आदि के सौन्दर्यीकरण की योजना

90—श्री बलबीर सिंह नेगी—

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के जरालताल, मज्याड़ताल, मासरताल, महारानी का ताल, लम्बाताल, लिंगताल, सहस्रताल के संरक्षण व सौन्दर्यीकरण करने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

ले0ज0 (अ0प्रा0) टी0पी0एस0 रावत—

जनपद टिहरी गढ़वाल के जरालताल, मज्याड़ताल, मासरताल, महारानी का ताल, लम्बाताल, लिंगताल, सहस्रताल को संरक्षित एवं इनके सौन्दर्यीकरण के लिये यद्यपि कोई समन्वित योजना तैयार नहीं की गयी है किन्तु पर्यटन विभाग की योजना, पर्यटक स्थलों का सौन्दर्यीकरण के अंतर्गत ऐसे दूरस्थ स्थलों के सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही की जा रही है। इसी के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में मासरताल पट्टी हिन्दाव के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत भी की जा चुकी है। भविष्य में अन्य तालों के सौन्दर्यीकरण के प्रस्ताव प्राप्त होने पर इस योजना के अंतर्गत नियमानुसार धनराशि स्वीकृत की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

बागेश्वर में वर्ष 1979 से संचालित आई0टी0आई0 के बन्द
होने की जानकारी

91—श्री प्रकाश पन्त—

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि आई0टी0आई0 काण्डा, जनपद बागेश्वर वर्ष—1979 से संचालित है?

यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि उक्त संस्थान वर्तमान में बन्द कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त संस्थान को बन्द करने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार छात्र हित में इस संस्थान को पुनः संचालित करायेगी?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में मण्डी विकास सैस से कराये गये एवं
विचाराधीन विकास कार्य

92—मो0 शहजाद—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में मण्डी विकास सैस से विगत 02 वर्षों में कितनी धनराशि के विकास कार्य कराये गये?

क्या इस जनपद की विभिन्न मण्डी समिति क्षेत्रों के विकास हेतु कितने प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन हैं?

इसमें से कितने कार्य कराये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा—

जनपद हरिद्वार में विगत 02 वर्षों में विकास सैस से कोई कार्य नहीं कराये गये हैं बल्कि विगत 02 वर्षों में मण्डी विकास निधि से जनपद हरिद्वार की मण्डी समितियों में कुल रु0 266.82 लाख की लागत के कुल 29 कार्य कराये गये हैं।

वर्तमान में जनपद हरिद्वार की विभिन्न मण्डी समिति क्षेत्रों के विकास हेतु मण्डियों से कुल 10 कार्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्रस्तावित कार्यों में से रु0 57.92 लाख की धनराशि के 02 कार्य कराये जाने हेतु निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जा रही है, अन्य प्रस्तावित कार्यों को धन की उपलब्धता के आधार पर कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में मार्च 02 से 30 सितम्बर, 02 तक किये
आपरेशनों की संख्या एवं आपरेशन थियेटर की जानकारी

93—श्री प्रकाश पन्त—

क्या चिकित्सा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 2002 से 30 सितम्बर, 2002 तक जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ में कितने आपरेशन किये गये?

क्या वर्तमान में चिकित्सालय के आपरेशन थियेटर का उपयोग किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री तिलक राज बेहड़—

मार्च, 2002 से 30 सितम्बर, 2002 तक जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में स्थित आपरेशन थियेटर में 37 मेजर आपरेशन तथा 84 माइनर आपरेशन किये गये।

वर्तमान में चिकित्सालय के आपरेशन थियेटर का उपयोग किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्शल, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3.00 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

(भोजनावकाश)

(अपराह्न 3.00 बजे)

मार्शल, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 3.20 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन को स्थगन 3.55 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है।

मार्शल, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी ने सदन का स्थगन 4.15 तक के लिए बढ़ा दिया है।

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपराह्न 4 बजकर 15 मिनट पर पुनः आरम्भ हुई)

(वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य नारे लगाने लगे। "लोकतंत्र की हत्यारी यह सरकार नहीं चलेगी—नहीं चलेगी, तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी—नहीं चलेगी, रोजगार में भ्रष्टाचार बन्द करो—बन्द करो, उत्तराखण्ड आन्दोलकारियों के मुकदमे वापस लो।" (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। (घोर व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान का प्रस्तुतिकरण

संसदीय कार्य मंत्री (डा० 'श्रीमती' इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करती हूँ।

(घोर व्यवधान)

भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक का वर्ष 2000-2001 उत्तर प्रदेश सरकार का वाणिज्यिक प्रतिवेदन

डा० 'श्रीमती' इन्दिरा हृदयेश—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के अधीन भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक, से प्राप्त वर्ष 2000-2001, उत्तर प्रदेश सरकार वाणिज्यिक प्रतिवेदन सदन के पट्टर पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916)
(संशोधन) अध्यादेश, 2002

वन एवं शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)
(संशोधन) अध्यादेश, 2002

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान)

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002

डा० 'श्रीमती' इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2002

*पंचायती राज्य मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अध्यादेश, 2002

*चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान)

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन)
अध्यादेश, 2002

*आबकारी मंत्री (श्री टी०पी०एस० रावत)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 13 जून, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जून, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का पांचवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जून, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का छठा अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 (उत्तरांचल संशोधन)
विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 10 जून, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जून, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का सातवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतराज संशोधन विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायत राज संशोधन विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 14 जून, 2002 को पारित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 जून, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का आठवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग, विधेयक, 2002

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल अल्प संख्यक आयोग, विधेयक, 2002 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 2002 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 19 जून, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का नवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि भारतीय वन अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 9 मई, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति दिनांक 17 जुलाई, 2002 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2002 का दसवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान)

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विमान्डेश्वर ईड़ा मोटर मार्ग के डामरीकरण के संबंध में याचिका

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी का नाम पुकारे जाने पर वह खड़े नहीं हुए और न ही उन्होंने अपनी याचिका प्रस्तुत की)

(घोर व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 की बैठक में दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :—

दिसम्बर 13

शुक्रवार

(1) अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना।

(2) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारत सरकार से प्राप्त वर्ष 2000-2001, उत्तर प्रदेश सरकार का वाणिज्यिक प्रतिवेदन का सदन के पटल पर रखा जाना।

(3) वित्तीय वर्ष 2002-2003 के प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण (अपराहन 4.00 बजे)।

इसके अतिरिक्त समिति ने यह भी विनिश्चय किया कि आज दिनांक 13 दिसम्बर, 2002 की कार्यसूची की मद संख्या-32 के बाद मद संख्या-32 (क) पर उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 2002 को भी पुरःस्थापित कर दिया जाय और तदनुसार अनुपूरक कार्यसूची जारी कर दी जाए।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (डा० श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष ने दी, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

विधान सभा की सर्वदलीय जांच समिति का कार्यकाल बढ़ाये जाने की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा मण्डप की लाबी में हुए अग्निकांड के सम्पूर्ण प्रकरण तथा आनुषांगिक विषयों के साथ-साथ राजधानी निर्माण संबंधी समस्त प्रकरणों (निर्माण तथा क्रय) की जांच हेतु दिनांक 14 जून, 2002 को गठित समिति जिसका कार्यकाल अन्तिम बार वर्तमान सत्र के प्रथम दिवस तक के लिए बढ़ाया गया था, का कार्य अभी तक पूर्ण न हो पाने के कारण पुनः विधान सभा के आगामी बजट सत्र के अन्तिम कार्य दिवस तक के लिए बढ़ाया जाता है।

नियम-301, 300 एवं 56 के अन्तर्गत सूचनायें

आज नियम-301, 300 तथा 56 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, उनको मैं अस्वीकार करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916)

(संशोधन) विधेयक, 2002

शहरी विकास मंत्री (श्री नवप्रभात)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नवप्रभात—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959)

(संशोधन) विधेयक, 2002

श्री नवप्रभात—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री नवप्रभात—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ० "श्रीमती" इन्दिरा हृदयेश)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० 'श्रीमती' इन्दिरा हृदयेश—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलक राज बेहड़)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल आयुर्विज्ञान परिषद् विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002

आबकारी मंत्री (श्री टी०पी०एस० रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री टी०पी०एस० रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002

संसदीय कार्य मंत्री (डॉ० "श्रीमती" इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डॉ० (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939) (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान)

उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002

पंचायती राज्य मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत जितनी भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं उन सभी सूचनाओं को अस्वीकृत करता हूँ।

अब हम दिनांक 16-12-2002 के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 37 मिनट पर सोमवार 16-12-2002/अगले दिन के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

देहरादून

दिनांक : 13/12/2002

महेश चन्द्र

सचिव, विधान सभा,
उत्तरांचल।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 10 विधान सभा/124-9-7-2003-200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/ऑफसेट)।

